कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या– 180 /खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24)   दिनांक– 12.05., 2023

भण्डारित बालू/मौरम की ई–निविदा के सम्बन्ध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद हमीरपुर तहसील सरीला ग्राम मंगरौठ में भण्डारित बालू/मौरम के भण्डारण से उपखनिज के निकासी हेतु राजस्व हित में निम्न विवरण के अनुसार अल्प अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग के माध्यम से बालू/मौरम की निकासी हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

भण्डारित उपखनिज बालू/मौरम का विवरण।

क्र0	भण्डारण स्थल का विवरण	खनिज का नाम	भण्डारित खनिज की मात्रा (घनमी0)	भण्डारित खनिज की रायल्टी दर (प्रति घन मी0)	भण्डारित खनिज की कुल रायल्टी /न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु0 में)	अर्नेष्ट मनी (कॉलम–6 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत (रु0 में)	अवधि जिसमें खनिज की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद हमीरपुर तहसील सरीला ग्राम मंगरौठ गाटा संख्या–525, 526, 528 व 530, जो पूर्व के भण्डारण अनुज्ञप्तिधारक श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री मुरानीलाल निवासी–पुराना ट्रक यूनियन तहसील करौली राजस्थान के पक्ष में गाटा सं0–1000, 1002, 1003, 1006, 1010/5, 1010/9 पर स्वीकृत किया गया था।	बालू/मौरम	36,327	750	2,72,45,250/–	68,11,313/–	03 माह

उक्त ई–निविदा दिनांक–29.05.2023 को समय 10.00 AM से दिनांक–03.06.2023 समय 5.00 PM तक वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है, जिसे दिनांक–05.06.2023 को अपरान्ह 01.00 बजे गठित समिति के समक्ष जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, एन0आई0सी0 हमीरपुर में खोली जायेगी।

शर्ते :–

1. भण्डारित उपखनिज बालू/मौरम को निर्धारित अवधि में हटाने के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे। ई–निविदा स्वीकृति की अवधि अथवा खनिज की मात्रा, जो पहले समाप्त हो, तक के लिये वैध मानी जायेगी।
2. ई–निविदा में भाग से पूर्व प्री–बिड अर्नेस्ट मनी, जो ऊपरलिखित कॉलम–7 में अंकित है, को जमा करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अर्नेष्ट मनी की धनराशि, जो जिलाधिकारी हमीरपुर के पक्ष में देय होगी, की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ लोड करना अनिवार्य होगा तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने से पूर्व 11.00 बजे पूर्वान्ह, क्वैरी कार्यालय, हमीरपुर में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिस निविदादाता द्वारा मूल बैंक ड्राफ्ट की प्रति निर्धारित अवधि के अन्दर खनिज कार्यालय हमीरपुर में उपलब्ध नही की जाती है,

तो उसकी ई–निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा फाइनेंसियल बिड नहीं खोला जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बिड आई0डी0, बिडर/फर्म का नाम एवं बिडर का मोबाइल नं0 अंकित करना अनिवार्य होगा।

3. निविदादाता द्वारा खनिज के प्रति घनमी0 के लिये दी जाने वाली बोली रायल्टी दर जो ऊपरलिखित कॉलम–5 में अंकित है, से कम बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि निर्धारित रायल्टी से कम दर पर बिड/बोली दी जाती है तो, निविदादाता द्वारा दिया गया बिड/बोली मान्य नही है।
4. भण्डारित उपखनिज बालू/मौरम के प्रति घनमी0 के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च रायल्टी दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र में भण्डारित उपखनिज बालू/मौरम की निकासी के लिये किया जायेगा।
5. ई–निविदा ऑनलाइन उ0प्र0 शासन के eProcurement Poral https://etender.up.nic.in के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा। बिड डाक्यूमेन्ट और अन्य विस्तृत जानकारी जैसे योग्यता, निविदादाता की अर्हता तथा अन्य शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय, हमीरपुर से प्राप्त की जा सकती है।
6. इच्छुक आवेदको के लिये ऑनलाइन ई–निविदा में प्रतिभाग करने हेतु क्लास–II साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है, जो किसी भी सर्टिफाइंग ऐजेन्सी से प्राप्त किया जा सकता है।
7. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को https://etender.up.nic.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा https://etender.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने लिये स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेगें।
8. ई–निविदा में प्रतिभाग करने हेतु जिलाधिकारी, हमीरपुर के पक्ष में रु0–15,000.00 का आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा तथा जमा रसीद की प्रति स्कैन कर ई–निविदा की तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता द्वारा ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय https://etender.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के साथ स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा :–
   - क– आवेदक का सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्म के मामले में प्रोपराइटर/पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं कम्पनी के मामले में निदेशक का DIN व कम्पनी का पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति।
   - ख– सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा प्रधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है, वहां इस आशय का शपथ पत्र।
10. ई–निविदा में निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग नहीं ले सकते है :–
    - क– जो भारतीय राष्ट्रिक नही है,
    - ख– जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है,

ग– जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रुप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लिया है, शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो,

घ– जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

च– जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो,

छ– फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

11. निर्धारित समय के पश्चात निविदा बन्द हो जायेगी, और उसके पश्चात् कोई निविदा नही दिया जा सकता है।
12. सर्वोच्च/सफल निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाताओं द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को वापस कर दी जायेगा।
13. सर्वोच्च/सफल निविदादाता द्वारा ई–निविदा में दी गयी सर्वोच्च दर को उस खण्ड में भण्डारित उपखनिज बालू/मौरम की मात्रा से गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी, जिसमें से अग्रिम के रुप में 25 प्रतिशत जमा अर्नेष्ट मनी की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि स्वीकृति आदेश मिलने के दो कार्य दिवसों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट/कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
14. सर्वोच्च/सफल निविदादाता, यदि सर्वोच्च बोली की धनराशि को जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेष्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।
15. निविदादाता द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर एवं शुल्क यथा सम्पूर्ण रायल्टी पर आयकर (टी0सी0एस0), डी0एम0एफ की धनराशि, एवं स्टाम्प पेपर आदि भी जमा करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्तें :–

1. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता एवं भण्डारित स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।
2. निविदादाता बालू/मौरम के परिवहन हेतु प्रत्येक उपखनिज वाहन को वैध परिवहन प्रपत्र विवरण सहित जारी करेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में निविदानुसार शास्ति का भागी होगा।
3. निविदादाता ऐसी रीति से उपखनिज का परिवहन करेगा, जिसे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन भू–गृहदि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति न पहुँचे।
4. निविदादाता परिवहन किये गये उपखनिज का लेखा–जोखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्रतिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

5. निविदादाता को समय–समय पर शासन/खनन निदेशालय/जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश/आदेश नियमानुसार दिन जायेगे, उसका अनुपालन किया जाता अनिवार्य होगा।
6. ई–निविदा बिना सूचना/कारण बताये, स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. यदि कोई शुद्धि पत्र (corrigendum) बाद में प्रकाशित होता है तो इसकी पूर्ण जानकारी केवल ई–टेण्डरिंग पोर्टल https://etender.up.nic.in पर ही सार्वजनिक की जायेगी।
8. म0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा।

(डॉ0 चन्द्र भूषण)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर

पत्रांक व तद्दिनांक–
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 हमीरपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा को जनपद के वेबसाईट पर अपलोड कराकर ई–टेण्डर की प्रक्रिया हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना अधिकारी एवं जनसम्पर्क विभाग, हमीरपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

12.5.23

जिलाधिकारी,
हमीरपुर

भण्डारण अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महात्वपूर्ण–किसी प्रकार के कंटिंग/ओवरराटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाईल नं0	
8	ई–मेल आई0डी0	
9	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम– ख. जनपद का नाम– ग. तहसील का नाम– घ. खनन क्षेत्र का नाम/पता– ड. गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या– च. क्षेत्रफल (एकड़ में)–	
10	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैण्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैण्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15	क्षेत्र में निर्धारित/आकंलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिये विज्ञप्ति में उल्लिखित रायल्टी दर के गुणाक का 25 प्रतिशत (सकल धनराशि) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैण्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	ड्राफ्ट धनराशि–.............................. बैक का नाम व शाखा......................... ड्राफ्ट का नम्बर.................................

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by SUBHASH SINGH
Date: 2023.05.24 13:14:04 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with CamScanner